भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3867
दिनांक 12 अगस्त, 2025/21 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली में साइबर अपराध

†3867. श्रीमती डी. के. अरुणाः
श्री इटेला राजेंदरः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या दिल्ली जैसे शहर में, डिजिटल और ऑनलाइन कार्य-संचालन विविध प्रकार की चुनौतियों से भरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या डिजिटल भुगतान, सोशल मीडिया और इंटरनेट बैंकिग के लाभों के साथ-साथ साइबर अपराध की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और यह पिछले कुछ वर्षों में देशभर में सबसे गंभीर और गहन चिंताओं में से एक के रूप में उभरा है;
(ग) क्या दिल्ली साइबर अपराध का केंद्र बन गया है;
(घ) क्या दिल्ली निवासियों ने पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान साइबर अपराध के कारण करोड़ों रुपये गंवाएं हैं और यदि हां, तो अन्य राज्यों के साथ तुलना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या इस मुद्दे की तीव्रता और गंभीरता के बावजूद ढांचागत कमियां मौजूद हैं;और
(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मुद्दे के समाधान हेतु प्रणाली को मजबूत करने के लिए, विशेषकर महिलाओं को ऐसी घटनाओं से बचाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपने प्रकाशन "भारत में अपराध" में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है। एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2022 की अपनी नवीनतम रिपोर्ट में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, 2020 से 2022 की अवधि के दौरान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दर्ज साइबर अपराधों का विवरण अनुबंध-'क' में दिया गया है।

(घ): एनसीआरबी साइबर अपराधों के कारण हुई हानि से संबंधित आंकड़े नहीं रखता है। हालाँकि, दिल्ली पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले 11 वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों और उनमें हुई हानि का विवरण अनुबंध-ख में दिया गया है।

(ङ) और (च) : भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। हालांकि, व्यापक और समन्वित तरीके से साइबर अपराधों से निपटने के लिए तंत्र को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है, देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटने के लिए 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (I4C) की स्थापना; 'राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल' (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) का आरंभ ; 'नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली' (CFCFRMS) का आरंभ; अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (CFMC) की स्थापना; अत्याधुनिक 'राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला (जांच)' की स्थापना; मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOC) प्लेटफॉर्म, अर्थात् 'साइट्रेन' पोर्टल, आदि का विकास।

इसके अलावा, गृह मंत्रालय 'महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध साइबर अपराध रोकथाम (CCPWC)' योजना के अंतर्गत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी क्षमता निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जैसे साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, कनिष्ठ साइबर सलाहकारों की नियुक्ति और LEA के कर्मियों, लोक अभियोजकों और न्यायिक अधिकारियों का प्रशिक्षण। 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर फोरेंसिक-सह-प्रशिक्षण प्रयोगशालाएँ स्थापित की जा चुकी हैं।

इसके अतिरिक्त, दिल्ली पुलिस ने साइबर अपराधों के जटिल और संवेदनशील मामलों की जाँच के लिए नवीनतम उपकरणों और सॉफ्टवेयर से लैस IFSO (इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस) की स्थापना की है। दिल्ली में साइबर अपराध से संबंधित मामलों से निपटने के लिए 2022 से दिल्ली पुलिस के पंद्रह जिलों में से प्रत्येक में एक साइबर पुलिस स्टेशन कार्यरत है। सभी पुलिस स्टेशनों पर हेल्प डेस्क साइबर अपराधों से प्रभावित महिलाओं की सहायता के लिए साधन संपन्न हैं। ऐसे मामलों को संवेदनशीलता और तत्परता से निपटाने के लिए दिल्ली पुलिस में एक विशेष इकाई एसपीयूडब्ल्यूएसी (महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई) भी कार्यरत है।

*****

दिनांक 12.08.2025 के लिए लोस अतारांकित प्रश्न संख्या 3867

अनुबंध-'क'

एनसीआरबी की भारत में अपराध 2022 रिपोर्ट के अंश

क्र. सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022	मध्य-वर्षीय अनुमानित जनसंख्या (1997 में) लाख)	कुल साइबर अपराधों की दर (2022)	रेट चार्जशीट (2022)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
राज्य							
1	आंध्र प्रदेश	1899	1875	2341	530.3	4.4	16.8
2	अरुणाचल प्रदेश	30	47	14	15.5	0.9	50.0
3	असम	3530	4846	1733	354.9	4.9	14.0
4	बिहार	1512	1413	1621	1255.3	1.3	69.3
5	छत्तीसगढ़	297	352	439	299.5	1.5	78.8
6	गोवा	40	36	90	15.7	5.7	37.5
7	गुजरात	1283	1536	1417	709.3	2.0	62.9
8	हरियाणा	656	622	681	299.7	2.3	58.0
9	हिमाचल प्रदेश	98	70	77	74.4	1.0	62.3
10	झारखंड	1204	953	967	391.4	2.5	63.6
11	कर्नाटक	10741	8136	12556	674.1	18.6	21.1
12	केरल	426	626	773	356.8	2.2	58.4
13	मध्य प्रदेश	699	589	826	858.9	1.0	85.2
14	महाराष्ट्र	5496	5562	8249	1257.4	6.6	30.5
15	मणिपुर	79	67	18	32.0	0.6	0.0
16	मेघालय	142	107	75	33.3	2.3	6.1
17	मिजोरम	13	30	1	12.3	0.1	0.0
18	नागालैंड	8	8	4	22.2	0.2	10.0
19	ओडिशा	1931	2037	1983	460.8	4.3	11.4
20	पंजाब	378	551	697	306.0	2.3	58.8
21	राजस्थान	1354	1504	1833	804.4	2.3	40.5
22	सिक्किम	0	0	26	6.8	3.8	-
23	तमिलनाडु	782	1076	2082	767.1	2.7	69.8
24	तेलंगाना	5024	10303	15297	379.5	40.3	17.1
25	त्रिपुरा	34	24	30	41.2	0.7	22.5
26	उत्तर प्रदेश	11097	8829	10117	2340.9	4.3	45.3
27	उत्तराखंड	243	718	559	115.6	4.8	24.3
28	पश्चिम बंगाल	712	513	401	987.6	0.4	73.0
	कुल राज्य	**49708**	**52430**	**64907**	**13403.0**	**4.8**	**29.3**
संघ राज्य क्षेत्र							
29	A&N द्वीप समूह	5	8	28	4.0	7.0	63.6
30	चंडीगढ़	17	15	27	12.2	2.2	42.1
31	D&N हवेली और दमन और दीव	3	5	5	12.0	0.4	71.4
32	दिल्ली	168	356	685	211.0	3.2	89.3
33	जम्मू और कश्मीर	120	154	173	135.4	1.3	43.1
34	लद्दाख	1	5	3	3.0	1.0	0.0
35	लक्षद्वीप	3	1	1	0.7	1.4	0.0
36	पुडुचेरी	10	0	64	16.2	3.9	72.7
कुल संघ राज्य क्षेत्र		**327**	**544**	**986**	**394.5**	**2.5**	**70.0**
कुल अखिल भारतीय		**50035**	**52974**	**65893**	**13797.5**	**4.8**	**29.6**

+अपराध दर की गणना प्रति एक लाख जनसंख्या पर अपराध के रूप में की जाती है। तालिका 9A. 1 पृष्ठ 1 का 1

•जनसंख्या स्रोतः जनसंख्या अनुमानों पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट (जुलाई 2020) राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

•राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार

•राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना केवल अपराध के आंकड़ों के आधार पर नहीं की जा सकती।# नागालैंड से स्पष्टीकरण लंबित है।

लोक सभा अता. प्र.सं. 3867, दिनांक 12.08.2025

अनुबंध-ख

पिछले ग्यारह वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामले और उसमें हुई हानि की राशि का विवरण

वर्ष	**साइबर वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों की संख्या दर्ज**	**हानि की राशि** (रूपए में)
2014	226	2,63,78,826
2015	712	6,39,70,233
2016	550	8,00,00,048
2017	454	7,39,01,796
2018	451	7,34,02,732
2019	795	26,17,38,262
2020	1687	35,29,91,030
2021	1630	91,03,84,256
2022	1545	2,31,23,50,148
2023	1347	1,83,56,26,648
2024	1591	8,17,64,85,471
2025 (30 जून, तक)	184	70,64,80,624